(5)

राजस्व निगरानी क्र.. : /2018
प्रस्तुति दिनांक : 24/1 /2018

समक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर केंप, इन्दौर (म.प्र.) के समक्ष

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा/2018/1417

1. धर्मानंद उर्फ धन्नालाल पिता श्री भेरूलाल यादव
उम्र-4[illegible] वर्ष, धंधा- कृषि
2. मोहन पिता श्री भेरूलाल यादव
उम्र-45 वर्ष, धंधा-कृषि
3. श्रीमती विष्णुदेवी पति दिनेश यादव
उम्र-50 वर्ष, धंधा-कृषि
सभी निवासी- ग्राम जाफराबाद
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.) ..... प्रार्थीगण

प्र. अधि. इंदौर से दिनांक - 20-2-18 को प्रस्तुत। 20/2/18

विरूद्ध

1. यशवंत पिता रतनसिंह यादव
उम्र-40 वर्ष, धंधा-कृषि
2. श्यामलाल पिता रतनसिंह यादव
उम्र-55 वर्ष, धंधा-कृषि
दोनों निवासी-ग्राम जाफराबाद,
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.) ....प्रत्यर्थीगण

इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ....
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 24-01-2018
को प्रस्तुत।
24-01-2018
अपीलक
आयुक्त कार्यालय

निगरानी आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

मान्यवर,

राजस्व अपील क्र. 362/अपील/2016-2017, धर्मानंद व अन्य विरूद्ध यशवंत व अन्य में विद्वान अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर, संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02/01/2018 से परिवेदित होकर प्रार्थीगण यह निगरानी याचिका निम्न व अन्य आधारों पर सादर प्रस्तुत करते हैं:-

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/2018/1417

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री के0एल0जैन द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2-1-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत जब एक बार प्रकरण में रूढिगत रास्ते संबंधी निर्णय हो चुका हो तथा उक्त आदेश अंतिम हो चुका हो तो पुन: उक्त रास्ता अवरूद्ध किये जाने से संहिता धारा 131 के अन्तर्गत पुन: प्रकरण संस्थित करने की आवश्यकता नहीं है । पूर्व आदेश अनुसार कार्यवाही की जा सकती है । इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	